दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 26 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 89

महत्वपूर्ण एवं खास

नदी में बहते पर्यटक की तीन छात्रों ने बचाई जान

रुद्रप्रयाग (आरएनएस)। उत्तराखण्ड राज्य के रुद्रप्रयाग जिलें के मुख्यालय स्थित अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर दिल्ली की एक पर्यटक का पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बहने लगी। इस बीच संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगाते हुए पर्यटक को सकुशल नदी से बचा लिया। युवकों की इस बहादुरी पर व्यापार संघ रुद्रप्रयाग ने तीनों युवकों का सम्मान किया है। शनिवार सुबह 10 बजे के आस पास दिल्ली के कुछ पर्यटक संगम स्थल पर घूमने आए थे। इस बीच नारद शिला के निकट एक किशोरी का पैर फिसल गया और वह देखते ही देखते नदी की तेज धारा में बहने लगी। किशोरी अलकनंदा नदी की तेज धारा में कुछ आगे तक बह के भी गयी। इस बीच संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में पढ़ने वाले भूपेंद्र बहुगुणा, प्रदीप सेमवाल और शुभम देवली ने अपनी जान की प्रवाह किये बगैर किशोरी की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। युवकों की कड़ी मेहनत के बाद किशोरी की जान बच पाई। युवकों की बहादुरी पर व्यापार संघ ने उनका सम्मान किया है। व्यापार संघ अध्यक्ष चंद्रमोहन सेमवाल ने कहा कि तीनों युवकों ने युवती की जान बचाकर बहादुरी का कार्य किया है। किशोरी अगर कुछ दूर तक और बहती तो बचना मुश्किल हो जाता, लेकिन युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए उसकी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि युवकों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस मौके पर सभासद सुरेंद्र सिंह रावत, व्यापारी हरि सिंह बिष्ट सहित अन्य मौजूद थे।

मलेशिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 41 हुई

कुआलालंपुर । मलेशिया में भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। पुलिस महानिरीक्षक सानी ने बताया कि मृतकों के अलावा, कम से कम 8 अन्य लोगों के लापता होने की सूचना है। रिपोर्ट किए गए 41 मामलों में से, सेलांगोर में 25 मौतें, पहांग में 15 मौतें और केलंतन में एक मौत हुई, पीड़ितों में 26 पुरुष, 13 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। मलेशियाई समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 6 राज्यों और संघीय क्षेत्र कुआलालंपुर में बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों की संख्या घटकर 46,524 रह गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पहांग प्रायद्वीप मलेशिया के पूर्वी तट के साथ बना हुआ है, जिसमें 26,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। इसके बाद सेलांगोर राज्य में 18,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। देश के मौसम विभाग ने आज बारिश और तूफान के साथ प्रायद्वीप मलेशिया के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी बोर्नियो राज्यों सबा और सरवाक में और बारिश होने की चेतावनी दी है।

उच्च न्यायलयों में लागू हो समान संहिता, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्च न्यायालयों में यूनिफार्म ज्यूडिशियल कोड लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह उच्च न्यायलयों को यह निर्देश दिया जाए कि मामलों का पंजीकरण करने और समान न्यायिक शब्दावली, व्याक्यांशों एवं संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करने के लिए एक समान सहिंता अपनाएं। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका में यह भी मांग की गई है कि वह विधि आयोग को भी निर्देश दे कि न्यायिक शब्दावली, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों, मामला दर्ज करने की प्रक्रिया और अदालत के शुल्क में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ विचार-विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली एक समान नहीं है। यह गैर-एकरूपता न केवल आम जनता के लिए बल्कि कई मामलों में अधिवक्ताओं और अधिकारियों के लिए भी असुविधा का कारण बनती है। एक ही प्रकार के मामलों को संदर्भित करने के लिए उच्च न्यायलयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केवल शब्द ही अलग नहीं हैं, बल्कि इन शब्दों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त शब्द भी अलग-अलग हैं।

ओमिक्रॉन के खतरों के बीच 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगा केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार की इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 10 चिन्हित राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में मल्टी-डिसिप्लिनरी केंद्रीय टीमों को तैनात किया जाएगा। देश आज कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के डर के साए में क्रिसमस का त्योहार मना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 415 मामलों

का पता चला है। इनमें से 115 ठीक भी हो चुके हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अब तक राज्य में नए वैरिएंट के 108 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मामले सामने आ चुके हैं।

ओमिक्रॉन की जंग कमजोर करते 11 राज्य - देश में 89 फीसदी वयस्क आबादी को कोरोना टीके की पहली और 61 फीसदी आबादी को दोनों खुराक लग चुकी हैं। लेकिन 11 राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कांफ्रेस में इन राज्यों का ब्यौरा जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ बैठक की गई है तथा उन्हें टीकाकरण की रफ्तार तेज करने को कहा गया है। बता दें कि अत देश में 140 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 83.29 करोड़ पहली खुराक के रूप में तथा 57 करोड़ टीके दूसरी खुराक के तौर पर दिए गए हैं। इन राज्यों में ओडिसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, पंजाब तथा नगालैंड शामिल हैं।

असम सरकार ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान, कई और पाबंदियां भी लगाईं

गुवाहाटी (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच असम सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू सहित कई पाबंदियों का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे राज्य में 26 दिसंबर से रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जिले में हालात को देखते हुए खुले स्थानों पर लोगों के एकत्रित होने की सीमा तय की जाएगी। बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग एकत्रित हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि अहम धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे 60 व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा, जो टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे 40 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स केस की जल्द सुनवाई की हुई मांग

» हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए थे आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत से जुड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं समेत सारे आरोप खारिज कर दिए थे।

वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर, 2018 को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में सभी आधारों को उठा सकती है। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 2005 में ही शीर्ष कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। बोफोर्स घोटाला उजागर हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अग्रवाल द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि न्याय हित में यह जरूरी है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। रक्षा क्षेत्र में घोटालों की इसलिए पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि बोफोर्स केस के आरोपियों को दंडित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2018 में शीर्ष कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद तीन साल बीत गए हैं, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया। 2 नवंबर 2018 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई 2005 के आदेश को चुनौती देने में 13 साल की देरी के लिए माफ करने का आग्रह किया गया था। शीर्ष कोर्ट ने अपने 2005 के आदेश में कहा था कि हम इस विशेष अनुमति याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने में 4,522 दिनों की अत्यधिक देरी के आधार से सहमत नहीं हैं।

कोयला मंत्रालय ने की दो और कोयला खदानों की नीलामी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोयला मंत्रालय ने इसी वर्ष 27 सितंबर, 2021 को वाणिज्यिक खनन के लिए 11 कोयला खदानों की नीलामी का दूसरा प्रयास शुरू किया था और तब 4 खदानों के लिए निविदाएं (बोलियां) प्राप्त हुई थीं। दो खानों के लिए नीलामी आयोजित की गई थी जिनके लिए कई बोलियां मिली हैं। यह आंशिक रूप से अन्वेषित (खोजी गई) कोयला खदान है अतः इस खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस कोयला खदान से सृजित होने वाले वार्षिक राजस्व की गणना फिलहाल नहीं की जा सकती है। इस नीलामी के संचालन के साथ ही कोयला मंत्रालय ने जून 2020 में पहली किश्त के शुभारंभ से अब तक कुल 30 खानों (23 पूरी तरह से अन्वेषित (खोजी गई) खदानों और 7 आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को मिलाकर) की सफलतापूर्वक नीलामी की है। बाजार में कोयला खदानों की मजबूत मांग का संकेत देते हुए 4 प्रतिशत की आधारभूत लागत (फ्लोर प्राइस) के मुकाबले लगभग 27.78त्न के औसत प्रीमियम के साथ अब तक नीलामी की गई कुल अधिकतम दर्ज क्षमता 63.17 एमटीपीए है। इन खदानों से कुल वार्षिक राजस्व 8158.03 करोड़ रुपये और अनुमानित रोजगार 85,406 होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक कोयले की खदान की नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है और अनंतिम-उपभोक्ता (नॉन-एंड यूजर) श्रेणी के कई प्रतिभागी पहली बार शामिल हुए जैसे भवन निर्माण क्षेत्र (रियल एस्टेट), बुनियादी संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), औषधि निर्माता (फार्मा) आदि भी इस नीलामी में सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे हैं, जो इसका एक सकारात्मक पक्ष साझा करता है।

एक साल में पांचवीं बार हादसे का शिकार हुआ मिग-21

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 बाइसन बीती शाम राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस साल बाइसन से जुड़ी यह पांचवीं दुर्घटना है। वायु सेना ने बताया है कि दुर्घटना में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई है। वायुसेना के मुताबिक यह विमान बीती शाम करीब 8 बजे के आसपास पश्चिमी सेक्टर में हादसे का शिकार हो गया। भारतीय वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यह विमान इतनी बार हादसे का शिकार हो चुका है कि इसे उड़ता ताबूत भी

कहा जाने लगा है।

दुर्घटना ने एक बार फिर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लड़ाकू विमान, इसके सुरक्षा रिकॉर्ड और आने वाले सालों में पुराने जेट को नए के साथ बदलने की भारतीय वायुसेना की योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। बाइसन विमान भारतीय वायुसेना मिग-21 का लेटेस्ट वैरिएंट है। वैसे तो इन विमानों को सेना से रिटायर करने का प्रस्ताव दे दिया गया था लेकिन विमानों के आभाव के कारण ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले तीन से चार सालों में इनको वायुसेना से हटा दिया जाएगा।

भारतीय वायु सेना फिलहाल मिग -21 बाइसन विमान के चार स्क्वाड्रन को संचालित कर रहा है। इसमें एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट रहते हैं। मिग-21 भारत में बहुत पहले से अपनी सेवा दे रहा है। साल 1963 में वायु सेना को सोवियत संघ (रूस) से सिंगल-इंजन वाला मिग-21 विमान मिला था। वायुसेना में शामिल किए 874 मिग विमानों के वैरिएंट में से 60 फीसदी भारत में तैयार किए गए।

पिछले छह दशकों में 400 से अधिक मिक-21 दुर्घटना के शिकार हुए हैं और इसमें 200 से अधिक पायलटों की जान गई है। मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो बाकी लड़ाकू विमानों की तुलना में मिग-21 अधिक हादसे का शिकार हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह काफी लंबे समय से वायुसेना का हिस्सा हैं।

कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से 1197 करोड़ गायब करने वाली है भाजपा शासित एमसीडी : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली (आरएनएस) । दिल्ली में भाजपा शासित एमसीडी में कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा 1197 करोड़ गायब करने का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने लगाते हुए कहा कि भाजपा एमएसईबी कर्मचारियों के भी पैसे डकार ने से पीछे नहीं हट रही है। इससे पहले एमसीडी के ट्राइफरकेशन के बाद का 1232 करोड़ रुपया हजम किया जा चुका है और अब ट्राइफरकेशन से पहले का 1197 करोड़ रुपया भी हजम करने की प्लानिंग चल रही है। यह सारा पैसा पहले ही तीनों निगमों के बीच बांटा जा चुका है। एक सरकारी कर्मचारी बेहतर भविष्य के लिए जिंदगी भर जीपीएफ खाते में पैसा जमा करता है, भाजपा के नेता वह पैसा भी चट कर जाना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि आदेश गुप्ता जवाब दें कि जीपीएफ खाते से गायब हुआ यह सारा पैसा कर्मचारियों को कौन देगा। उन्होंने कहा कि एमसीडी के राजस्व के कई स्त्रोत हैं लेकिन सारा पैसा सरकारी खजाने में जाने की बजाय नेताओं और पार्षदों की जेब में जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने कुछ दिनों पहले एक प्रेसवार्ता करके बताया था कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का जेनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का जो पैसा होता है वह एमसीडी हजम कर गई। एमसीडी के विभाजन के बाद नॉर्थ एमसीडी के पास करीब 1232 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। यह पैसा एमसीडी का था भी नहीं। कर्मचारियों की धरोहर का पैसा निगरानी के तौर पर एमसीडी के पास 1232 करोड़ रुपए रखे हुए थे। एक सरकारी कर्मचारी जिंदगी भर जीपीएफ का पैसा यह सोचकर इकट्ठा करता है कि कल को जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब यह पैसा घर बनाने, गाड़ी खरीदने, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी में काम आएगा। वह पैसा एमसीडी हजम कर गई। उस खाते में जिसमें 1232 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, उसमें मात्र 6 करोड़ रुपए ही बचे हैं। हमने आदेश गुप्ता जी से पूछा था कि यह 1232 करोड़ रुपए कौन हजम कर गया। और जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, अब वह पैसा उन्हें कौन देगा। एमसीडी में जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको जीपीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने बताया था कि चाहे कहीं की कोई भी सरकार हो, उसकी जो भी आमदानी होती है, वह या तो सरकारी खजाने में जाता है और या तो नेताओं की जेब में जाता है। निगम में देखा जा रहा है कि जो भी राजस्व के स्त्रोत थे, टोल-टैक्स आमदनी का एक बहुत बड़ा स्त्रोत था। दिल्ली एक सिटी स्टेट है तो पूरे राज्य का टोल-टैक्स निगम को मिलता था। ऐसा मुश्किल से ही मुम्किन हो पाता है। आप महाराष्ट्र की निगम को देख लीजिए। उसके पास राज्य की सीमा ही नहीं है कि वह टोल ले सके।

बंगाल के स्पीकर ने राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखा पत्र

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर सदन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बनर्जी ब्योरा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संबोधित पत्र में कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जब धनखड़ ने कानून की प्रक्रिया में देरी की। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल लोगों के बीच स्पीकर की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और यह लोकतांत्रिक ढांचे में एक गलत मिसाल कायम कर रहा है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी राज्य के राज्यपाल ने सत्तारूढ़ दल के साथ मतभेद विकसित किए हैं। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जब सत्ताधारी दल और राज्य के प्रमुख के बीच मतभेदों का प्रभाव राज्य विधानसभा के गलियारों तक पहुंच गया है। स्पीकर ने आरोप लगाया कि हावड़ा नगर निगम को नगर निगम से 16 वाडरें को अलग करने और बल्ली नगरपालिका बनाने के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल इसलिए देरी हुई क्योंकि राज्यपाल ने इनकार कर दिया था।

नीति आयोग राज्यों के कामकाज सम्बंधी स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत का चौथा संस्करण जारी करेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत 'थिंक-टैंक' है तथा वह 'वॉट गेट्स मेजर्ड, गेट्स डन,' यानी 'जो मापा गया, समझो पूरा हुआ' के मूलमंत्र में विश्वास करता है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के अंग के रूप में नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिलकर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वे स्वास्थ्य नतीजों में सुधार करते रहें।

वर्ष 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के

बारे में आमूल कामकाज तथा क्रमिक प्रदर्शन की ट्रैकिंग के लिये वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक की शुरूआत की थी। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य है स्वास्थ्य नतीजों की प्रगति और स्वास्थ्य प्रणालियों के कामकाज को ट्रैक करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक-दूसरे से सीखने के लिये प्रोत्साहित करना। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिये स्वास्थ्य सूचकांक अंक और रैंकिंग का मूल्यांकन क्रमिक प्रदर्शन (वर्ष प्रति वर्ष प्रगति) तथा आमूल कामकाज (मौजूदा कामकाज) के आधार पर किया जाता है। आशा की जाती है कि इस प्रक्रिया से स्वास्थ्य सम्बंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को बल मिलेगा। इसमें यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज (आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच) और अन्य स्वास्थ्य नतीजों को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य सूचकांक एक ऐसा पैमाना है, जिसमें 24 संकेतकों को शामिल किया गया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कामकाज के सभी प्रमुख पक्षों से जुड़ा है। इस रिपोर्ट के दायरे में स्वास्थ्य नतीजे, शासन और सूचना तथा प्रमुख नतीजे और प्रक्रियायें आती हैं।

इन स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्टों का उद्देश्य है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली तथा सेवा आपूर्ति में सुधार के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित किया जाये। इस वार्षिक प्रक्रिया के महत्त्व पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोर देते हुये स्वास्थ्य सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन से जोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट द्वारा कोशिश की गई है कि बजट राशि को खर्च करने, आगत और निर्गत की बजाय नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये।

मजबूत और स्वीकार्य प्रणाली को कामकाज को मापने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत संकेतकों की मंजूरी और आंकड़ों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह काम नीति आयोग द्वारा संचालित एक पोर्टल के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसे एक प्रमाणन एजेंसी द्वारा सत्यापित कराया जाता है। प्रमाणन एजेंसी का चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया से किया जाता है। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को आगे सत्यापन के लिये राज्यों के साथ साझा किया जाता। अंत में आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिये होता है।

स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आमूल कामकाज और क्रमिक प्रदर्शन को मापने तथा उनकी तुलना करने का एक उपयोगी माध्यम है। वह स्वास्थ्य नतीजों, शासन, आंकड़ों की सत्यता तथा प्रमुख आगत और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में कामकाज के उतार-चढ़ाव को समझने का भी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।